

भा.क.अनु.प – केन्द्रीय कटाई उपरान्त अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान
डाक घर : पी. ए. यू. लुधियाना – 141004

F.No. 9(28)/2025/Estate/CIPHET/LDH /621

Date: 30.09.2025

कार्यालय आदेश

On the basis of the recommendations of Committee constituted vide Office Order F.No.9(28)/2025/Estate/CIPHET/LDH/522 dated 08.09.2025, the Competent Authority, ICAR-CIPHET, Ludhiana has been please to approved the following Rates & Guidelines for Private/Personal Functions of the Employees of this Institute:-

Sr. No.	Facility of ICAR-CIPHET, Ludhiana	Rate/Day
1.	Children Park	5,000/-
2.	Guest House Lawn	8,000/-
3.	Playground	11,000/-

- नोट: 1. यह Charges कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होंगे।
2. दु: खद प्रकार के कार्यक्रम में उपरोक्त लिखित Charges लागू नहीं होंगे।
3. सफाई और कूड़ा करकट उठाने के लिये रुपये 2000/- से रुपये 2500/- तक की धनराशि भी किराये में शामिल की गई है।

कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त करने के लिये सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी एक प्रारूप (Proforma) भर कर सक्षम अधिकारी से समय रहते अनुमोदन प्राप्त करेंगे। (प्रारूप (Proforma) की प्रति संलग्न है)

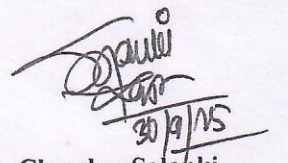
GUIDELINES/दिशानिर्देश:

1. यह सुविधा केवल ICAR-CIPHET संस्थान में कार्यरत केवल स्थायी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उनके अपने परिवारिक निजी कार्यक्रमों के लिये ही लागू होंगी।
2. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों का बिना किसी कारण (अनुचित) रूप से रिहाशी क्षेत्र में जाना/घूमना वर्जित होगा।
3. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम में आने वाले मेहमान ICAR- CIPHET में रह रहे परिवारजनों के साथ सुहाद्रपूर्ण व्यवहार करेंगे।
4. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के वाहनों की पार्किंग Playground के अंदर Gate No. 2 PAU Side अपने स्तर पर व्यवस्थित रूप से करवायेगे।
5. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी यदि कार्यक्रम के दौरान Electricity/Generator का उपयोग करता है तो विद्युत खपत का भुगतान सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी से लिया जायेगा। यह भुगतान प्रतिमाह प्राप्त विद्युत बिल में दर्शाए गये सर्वोच्च प्रति यूनिट दर के आधार पर किया जायेगा। यदि operation के दौरान कोई त्रुटि आती है तो इसके लिये कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और उस स्थिति में आवेदक अपनी उचित व्यवस्था खुद करेगा।
6. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम में गीत संगीत के लिये Sound की गति का अवश्य रूप से ध्यान रखेगे और इस संबंध में लोकल प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन पूर्ण रूप से करेंगे।
7. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम में अस्थायी रूप से लगाये जाने वाले Washroom/शौचालय की सुविधा का इंतज़ाम अपने स्तर पर करेंगे।

यह निदेशक महोदय के अनुमोदन से प्रेषित किया जाता है।

This is issued with the approval of Director.

Encl: as above


30/9/25

Dr. Chandan Solanki
In-Charge
Estate Management Section